Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- दौसा में थानाधिकारी मंडावर एवं हैड कानि. को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *11 फरवरी*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर तृतीय इकाई द्वारा आज गुरूवार को दौसा में कार्यवाही करते हुये थानाधिकारी, थाना मंडावर लालसिंह एवं हैड कानि. भूपेन्द्र सिंह को 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज लूट के मुकदमें में लूट की राशि बरामद होने के बावजूद राजीनामा कराने एवं पी. सी. रिमांड नहीं लेने की एवज में थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडावर लाल सिंह उप निरीक्षक पुलिस एवं हैड कानि. भूपेन्द्र सिंह द्वारा 40 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा दौसा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, मंडावर लाल सिंह पुत्र श्री स्व. भगवान सिंह निवासी चिमरावली गौड, लक्ष्मणगढ, अलवर एवं हैड कानि. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री विनय सिंह ग्राम पो. मूडिया, रैणी, अलवर को परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी भूपेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं **Whatsapp** हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।